



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20052026-272740
CG-DL-E-20052026-272740

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2026/वैशाख 30, 1948

No. 346]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2026/VAISAKHA 30, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2026

सं. 03/2026 – एचएसएनएस उपकर

सा.का.नि. 381(अ).— केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम, 2025 (2025 का 35) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर नियम, 2026 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है।

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 है।
(2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर नियम, 2026 के नियम 35 में,—
(i) उप-नियम (3) का लोप किया जाएगा;

- (ii) उप-नियम (5) में, "बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग के परामर्श से" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (iii) उप-नियम (6) में, "प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा यथा अनुमोदित" शब्दों के स्थान पर, "मुख्य लेखा नियंत्रक (वित्त)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. एस -25014/2/2025- एसटी -II- डीओआर (पार्ट.9)]

मुथुरामन सी., अवर सचिव

टिप्पण: - मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक 01/2026-एचएसएनएस उपकर, सा.का.नि. 2(अ), तारीख 1 जनवरी, 2026 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक 02/2026- एचएसएनएस उपकर, सा.का.नि. 78(अ), तारीख 30 जनवरी, 2026 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2026

No. 03/2026 - HSNS Cess

G.S.R. 381(E).— In exercise of the powers conferred by section 35 of the Health Security *se* National Security Cess Act, 2025 (35 of 2025), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Health Security *se* National Security Cess Rules, 2026.

1. Short title and Commencement. - (1) These rules may be called the Health Security *se* National Security Cess (Second Amendment) Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Health Security *se* National Security Cess, 2026, in rule 35, -
(i) sub-rule (3) shall be omitted;
(ii) in sub-rule (5), the words "Budget Division, Department of Economic Affairs in consultation with" shall be omitted;
(iii) in sub-rule (6), for the words "the Principal Chief Controller of Accounts, Central Board of Indirect Taxes and Customs, and as approved by the Comptroller and Accountant General of India", the words and brackets "the Chief Controller of Accounts (Finance)" shall be substituted.

[F. No S-25014/2/2025-ST-II-DOR(Pt.9)]

MUTHURAMAN C, Under Secy.

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* notification No. 01/2026-HSNS Cess, *vide* number G.S.R. 2(E), dated the 1st January, 2026, and subsequently amended *vide* notification No. 02/2026-HSNS Cess, *vide* number G.S.R. 78(E), dated the 30th January, 2026.